

क्रमांक :- नविन्यास/अधि.आमि II/2015-2016

दिनांक :- 28.05.2015

निविदा सूचना संख्या 03/II/2015-16

नगर विकास न्यास द्वारा सा.नि.वि. के संशोधित पंजीयन नियमों के अंतर्गत एवं राजस्थान सरकार के राष्ट्रीय विकास विभाग जयपुर के पत्रांक प1 (147) नविदि/3/2008 की शर्तों को सम्मिलित करते हुए सक्षम श्रेणी के पंजीकृत आवेदकों से निम्नलिखित कार्या हेतु मुहुरत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 15.06.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक विक्रय की जाकर दिनांक 16.06.2015 दोपहर 3.00 तक प्राण की जाकर, उसी दिन सांय 4.00 बजे उपस्थित आवेदकों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा विक्रय/प्राप्ति दिनों को सांजानिक अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को सम्पन्न होगी। निविदा हेतु आवेदन पत्र मुद्रित लेटर पैड पर आधकर/विक्रीकर दिन नंबर अधिकतम होना अनिवार्य है। अनुबंध की निविदा सूचना की धारा 14 की शर्त लागू होगी। निविदा दरों की वैधता 4 माह तक ही रहेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि 2%	निविदा राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	राजीव गांधी तटपालन शैड(रुकान से क्षतिग्रस्त) रोड साइड हिस्से का निर्माण कार्य।	3.20	6400	1600	2 माह

नोट :- विस्तृत जानकारी न्यास की वेबसाइट www.uitvikaraner.org, www.spppl.raj.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

1. अन्य विभागों से पंजीकृत "ए एच एच" श्रेणी आवेदकों को ही निविदा विक्रय की जावेगी।
2. संशोधित खण्ड द्वारा निविदा विक्रय की जावेगी।
3. आवेदकों को निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
4. निविदा शूल्क के साथ धरोहर राशि (ई.एम.डी.) जमा करवानी अनिवार्य होगी।
5. संशोधित खण्ड में ही निविदा खोली जावेगी।
6. उक्त कार्य का अनुभव रखने वाले आवेदक को ही निविदा विक्रय की जावेगी।

अध्यापिका अभिषेखा
नगर विकास न्यास
श्रीकांठ

दिनांक :- 28.04.2015

क्रमांक :- नविन्यास/अ.अ-11/2015-16
6045

उपरोक्त निविदासूचना को 02-08-2015 को 08.00 बजे आगामी अंक में श्रीकांठ/जयपुर/जयपुर/राज्य स्तर (50000 तथा 50000 से अधिक समाचार पत्र का सरकोलेशन होने पर) /आखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित करावे। जिसका समाधान डी.पी.आर. दर से किया जावेगा। बिल की तीन प्रतियाँ के साथ समाचार पत्र की पाँच मूल प्रतियाँ संलग्न कर निविदाओं को आम करे लाइफरवाले समाधान किया जाना सम्भव होगा।

अध्यापिका अभिषेखा
नगर विकास न्यास
श्रीकांठ